उत्तर प्रदेश सरकार,

गृह (पुलिस) अनुभाग-10

संख्याः 2548/6-पु0-10-2008-27(60)/2001

लखनऊः दिनांक 02, दिसम्बर, 2008

प्रथम संशोधन का शासनादेश

संख्याः 210/6-पु0-10-2009-27(7)/2009

लखनऊः दिनांक 02, अप्रैल, 2009

द्वितीय संशोधन का शासनादेश

संख्याः 103/6-पु0-10-2010

लखनऊः दिनांक 19, जनवरी, 2010

तृतीय संशोधन का शासनादेश

संख्याः 203(1)/6-पु0-10-2010-27(7)/08 टी0सी0

लखनऊः दिनांक 05, अप्रैल, 2010

चतुथ संशोधन का शासनादेश

संख्याः 102/-पु0/10-11-27(7)-2008 टी0सी0

लखनऊः दिनांक 14, जनवरी, 2011

पंचम संशोधन का शासनादेश

संख्याः 494/छः-पु-10-2013-27(65)/2012

लखनऊः दिनांक 01 मार्च, 2013

षष्टम संशोधन का शासनादेश

संख्याः 1544/छः-पु0-10-2013-27(65)/2012

लखनऊः दिनांक 06 जून, 2013

सप्तम संशोधन का शासनादेश

संख्याः 3038/छः-पु0-10-2013-27(65)/2012

लखनऊः दिनांक 11 दिसम्बर, 2013

अधिसूचना

प्रकोण

पुलिस अधिनियम, 1861 (अधिनियम संख्या-5 सन् 1861) की धारा-2 और धारा-46 की उपधार(3) के साथ पठित उक्त धारा की उपधारा (2) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके और इस निमित अन्य समस्त समथंकारी शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल, उत्तर प्रदेश उपनिरीक्षक और निरीक्षक (नागरिक पुलिस) सेवा नियमावली, 2008 को संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैः-

उत्तर प्रदेश उपनिरीक्षक और निरीक्षक (नागरिक पुलिस) सेवा नियमावली, 2008

भाग-1 सामान्य

1- (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश उपनिरीक्षक और निरीक्षक (नागरिक पुलिस) सेवा (सातवां संशोधन) नियमावली 2013 कही जायेगी।

(2) यह गजट के प्रकाषित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

सेवा की प्रास्थिति

2. उत्तर प्रदेश उप-निरीक्षक और निरीक्षक (नागरिक पुलिस) एक सेवा है जिसम समूह ''ग'' के पद समाविष्ट है।

परिभाषाएं

3. जब तक विषय या संदभं म कोई प्रतिकूल बात न हो, इस नियमावली म:-

क. ''अधिनियम'' का तात्पयं समय समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 से है।

ख. ''नियुक्ति प्राधिकारी'' का तात्पयं पुलिस उपमहानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश से है।

ग. ''बोडं'' का तात्पयं इस संबंध म समय समय पर जारी शासनादेशों के अनुसार स्थापित उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा भर्ती एवं प्रोन्नति बोडं से है।

घ. ''भारत का नागरिक'' का तात्पयं ऐसे व्यक्ति से है जो संविधान के भाग-2 के अधीन भारत का नागरिक हो या समझा जाए।

ड. ''संविधान'' का तात्पयं भारत के संविधान से है।

च. ''सरकार'' का तात्पयं उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार से है।

छ. ''राज्यपाल'' का तात्पयं उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है।

ज. ''विभागाध्यक्ष'' का तात्पयं पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश से है।

झ. "सेवा का सदस्य" का तात्पर्य इस नियमावली या इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त आदेशों के अधीन सेवा के संवर्ग में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त किसी व्यक्ति से है।

ञ. "नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों" का तात्पर्य अधिनियम की अनुसूची-एक में विनिर्दिष्ट नागरिकों के पिछड़े वर्गों से है

ट. "पुलिस मुख्यालय" का तात्पर्य पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ या उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद से है।

ठ. "सेवा" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश उप-निरीक्षक और निरीक्षक (नागरिक पुलिस) सेवा से है।

ड. "मौलिक नियुक्ति" का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति से है जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात की गयी हो और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक आदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार की गयी हो।

ढ. "भर्ती का वर्ष" का तात्पर्य किसी कलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि से है

भाग-दो-संवर्ग

सेवा का संवर्ग 4. 1. सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी सरकार द्वारा समय समय पर अवधारित की जाए।

2. सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या निम्न प्रकार होगी, जब तक कि उपनियम (1) के अधीन उसे परिवर्तित करने का आदेश पारित न हो:-

पदों के नाम	पदों की संख्या		
	स्थायी	अस्थायी	योग
1. निरीक्षक	890	1744	2634
2. उप निरीक्षक	7153	11843	18996

परन्तु यह कि:-

(एक) विभागाध्यक्ष कुल स्वीकृत नियतन के अन्तर्गत विभिन्न इकाईयों के पदों की संख्या को पुनर्निर्धारित कर सकता है।

(दो) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे हुए छोड़ सकते हैं या राज्यपाल उसे प्रास्थगित रख सकते हैं जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

(तीन) राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त स्थाई या अस्थाई पदों का सृजन कर सकते हैं, जिन्हें वह उचित समझे।

भाग-तीन-भर्ती

भर्ती का स्त्रोत

5. सेवा म विभिन्न श्रेणियो के पदो पर भर्ती निम्नलिखित स्त्रोत से की जाएगी।

(1) उपनिरीक्षक

(एक) पचास प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा बोर्ड के माध्यम से।

(दो) पचास प्रतिशत पद, मौलिक रूप से नियुक्त मुख्य आरक्षी उत्तर प्रदेश नागरिक पुलिस, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप म तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, म से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर बोर्ड के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।

(तीन) निःसंवर्गीय पदो पर पदोन्नत उप निरीक्षक (नागरिक पुलिस) भी, जो खण्ड (दो) म उल्लिखित अपेक्षा पूर्ण करते ह, उप निरीक्षक के पद पर पदोन्नति हेतु अर्ह होंगे।

3. **निरीक्षक**

(क) नियम 4 के उप नियम (2) के अधीन निरीक्षक, नागरिक पुलिस के स्वीकृत पदो की कुल संख्या के सौ प्रतिषत पद, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए, ज्येश्ठता के आधार पर बोर्ड द्वारा पदोन्नति के माध्यम से भर्ती द्वारा मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे उप निरीक्षकों नागरिक पुलिस म से भरे जायगे जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को, परिवीक्षा अवधि को सम्मिलित करते इस रूप् म सात वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो

(ख) उप खण्ड (क) के अधीन निरीक्षक नागरिक पुलिस के पदो पर पदोन्नति के लिए निःसंवर्गीय पदो पर पदोन्नत ऐसे निरीक्षक (नागरिक पुलिस) भी पात्र होंगे जो अपेक्षाओं को पूरा करते हों।

आरक्षण

6. अनुसचित जातियों, अनूसचित जनजातियों और अन्य श्रेणियो के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण अधिनियम और समय समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 के उपबन्धों और भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जाएगा। राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय खिलाडियों का आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार होगा। यह और उपबंधित किया जाता है कि शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति पुलिस सेवाओं के लिए अर्ह नही होंगे।

भाग-चार-अर्हताएं

राष्ट्रीयता

7. सेवा म किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी:-

क. भारत का नागरिक हो, या

ख. तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत म स्थायी निवास के अभिप्राय से पहली जनवरी, 1962 के पूर्व भारत आया हो, या

ग. भारतीय उदभव का ऐसा व्यक्ति हो जिससे भारत म स्थायी निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, बमा, श्रीलंका या किसी पूव अफ्रीको देश केनिया, यूगांडा और यूनाईटेड रिपब्लिक आफ तन्जानिया (पूववर्ती तांगानिका और जांजीबार) से प्रवजन किया हो।

परन्तु उपयुक्त श्रेणी (ख) या (ग) के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके पक्ष म राज्य सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण पत्र जारी किया गया हो,

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस उप महानिरीक्षक, अभिसूचना शाखा, उत्तर प्रदेश से पात्रता का प्रमाण पत्र प्राप्त कर ले।

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपयुक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा म इस शर्त पर रहने दिया जायेगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले।

टिप्पणी- ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले म पात्रता का प्रमाण पत्र आवश्यक हो किन्तु वह न तो जारी किया गया हो और न देने से इन्कार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार म सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष म जारी कर दिया जाय।

शैक्षिक अर्हता 8. उप-निरीक्षक के पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की अर्हता भारत म विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय द्वारा स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष अर्हता होनी चाहिए।

अधिमानी अर्हताएं 9. अधिमानी अर्हता-

अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले म ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा जिसने:-

(एक) प्रादेशिक सेना म न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या

(दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का ''बी'' प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, या

(तीन) केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से कम्प्यूटर अप्लीकेशन म प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो, या

(चार) केन्द्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय या किसी विधि संस्थान से विधि की उपाधि प्राप्त की हो।

टिप्पणी:-

उक्तांकित अधिमानी अर्हता के कोई अंक नही होंगे, बल्कि अधिमानी अर्हता के अभ्यर्थियों को अन्य अभ्यर्थियों के बराबर अंक प्राप्त करने की दशा म अन्तिम चयन (श्रेष्ठता सूची) म वरीयता दी जायेगी।

आयु 10. जिस कलेण्डर वर्ष म सीधी भर्ती की रिक्तियां प्रकाशित की जाय, उसकी

जुलाई के प्रथम दिन अभ्यर्थी ने 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो और 28 वर्ष से अधिक की आयु पूर्ण न की हो।

परन्तु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ऐसी अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थी की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतनी होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाए।

परन्तु यह और कि ऐसे अभ्यर्थियों, जिन्होंने उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा जारी की गयी अधिसूचना संख्या-पीआरपीबी-एक-1/2011, दिनांक 19 मई, 2011 के अनुसरण में उपनिरीक्षक, नागरिक पुलिस के पद पर भर्ती के लिए आवेदन किया हो, परन्तु उक्त पद पर भर्ती नहीं की जा सकी थी, को अधिकतम आयु सीमा में शिथिलता प्रदान की जायेगी ताकि वे उक्त पद पर आगामी भर्ती में सम्मिलित होने के लिए पात्र हो सकें।

चरित्र 11. सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो सके। नियुक्ति प्राधिकारी इस सम्बन्ध में अपना समाधान कर लेगे।

टिप्पणी:- संघ सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध व्यक्ति भी पात्र नहीं होंगे।

वैवाहिक प्रास्थिति 12. सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरूष अभ्यर्थी पात्र न होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो जिसकी पहली से एक पत्नी जीवित हो।

परन्तु सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है यदि उसका समाधान हो जाये कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान है।

शारीरिक स्वस्थता 13. किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से युक्त न हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह चिकित्सा बोर्ड के परीक्षण में सफल हो जाय।

टिप्पणी- चिकित्सा बोर्ड नाक-नी, बो लेग्स, फ्लैट फीट, वेरीकोस वेस, कलर ब्लाइंडनेस, दृष्टि दोषों जैसी कमियों का भी परीक्षण करेगा।

रिक्तियों का अवधारण 14. नियुक्ति प्राधिकारी भर्ती के वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और नियम 6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की

संख्या भी अवधारित करेगा और उसको सूचना विभागाध्यक्ष को देगा। विभागाध्यक्ष रिक्तियों की संख्या बोर्ड और सरकार को भी सूचित करेगा। सीधी भर्ती के लिए रिक्तियां, निम्नलिखित रीति से अधिसूचित की जायगी:-

(एक) व्यापक प्रसार वाले दैनिक समाचार पत्र म विज्ञापन जारी करके,

(दो) कार्यालय के सूचना पट्ट पर नोटिस चस्पा करके या रेडिया/ दूरदर्शन और अन्य रोजगार समाचार पत्रों के माध्यम से विज्ञापन द्वारा,

(तीन) रोजगार कार्यालय को रिक्तियों को अधिसूचित कर के,

(चार) जनसंचार के किन्हीं अन्य माध्यमों द्वारा।

उपनिरीक्षक के पद पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया

15. उपनिरीक्षक के पद पर सीधी भर्ती के लिए, चयन समिति के अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों और नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व होगा जो कि समय-समय पर यथा संशोधित अधिनियम की धारा 7 के अधीन आदेशों के अनुसार किया जाएगा।

क. **आवेदन पत्र (एक)-** अभ्यर्थी केवल एक जिले के लिए आवेदन पत्र भरेगा। परीक्षा केन्द्र के आवंटन के सम्बन्ध म अभ्यर्थी एक से अधिक विकल्प दे सकता है। फिर भी बोर्ड अभ्यर्थी द्वारा इंगित केन्द्र से भिन्न केन्द्र आवंटन कर सकता है,

(दो) आवेदन पत्र के साथ एक पृथक बुकलेट संलग्न की आएगी जिसम शैक्षिक अर्हता, आयु और प्रत्येक श्रेणी के शारीरिक मानक परीक्षण, शारीरिक दक्षता परीक्षण,चिकित्सीय परीक्षण के लिए न्यूनतम अर्हता मानक, लिखित परीक्षा के लिए विषयवार न्यूनतम अर्हता अंक, अभ्यास के लिए ओ0एम0आर0 पत्रक की प्रति एवं अन्य दिशा निदश से सम्बन्धित जानकारी होगी

(तीन) आवेदन पत्र ओ0एम0आर0 पत्रक पर होगा।

(चार)- अभ्यर्थियों के बाये और दाहिने दोनों अंगूठे के निशान के लिए आवेदन पत्र म स्थान दिया गया है।

(पांच) अभ्यर्थियों को अपना व्यक्तिगत विवरण यथा जन्मतिथि, लिंग, शैक्षिक अर्हता, श्रेणी अधिमानी अर्हता, जैसे कि राष्ट्रीय कैडेट कोर, प्रादेशिक सेना, कम्प्यूटर एप्लीकेशन प्रमाण पत्र, होमगार्ड, भूतपूर्व सैनिक या स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी के आश्रित और ऊर्ध्वाधर तथा क्षैतिज आरक्षण का लाभ चाहने वाले अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश का निवासी ओ0एम0आर0 आवेदन पत्र म निर्धारित स्थान पर उल्लिखित करगे। इन योग्यताओं/विवरणों से सम्बन्धित समस्त प्रमाण पत्रों की अभिप्रमाणित प्रतियां, मूल प्रमाण-पत्रों के साथ शारीरिक मानक परीक्षण केन्द्र स्थल पर शारीरिक मानक परीक्षण संचालित करने वाले अधिकारियों द्वारा संवीक्षा किये जाने हेतु प्रस्तुत करना बाध्यकारी होगा। दल अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किये गये संगत प्रमाण पत्रों की

अभिप्रमाणित प्रतियों को समुचित संवीक्षा और मूल प्रमाण पत्रों से उनका मिलान करने के पश्चात् स्वीकार करेगा और भविष्य □□□स्□□□□□□□ □□□ सत्यापन हेतु नियुक्ति प्राधिकारी को हस्तगत करने से पूर्व उनको भर्ती प्रक्रिया □ी □□□□ते □□ □□□क्ष□ □□□

(□□) □भ्□□ी □□□ □□प्र□□□□ □□□ □□□□ □त्र □□ □□□□□□□□□□,□□ फोटो आवेदन पत्र पर और दूसरा फोटो प्रवेश पत्र पर समुचि□ स्□□□ □□ अथवा बोर्ड द्वारा तथा अपेक्षित स्थान पर चिपकाया जायेगा।

(□□□) आवेदन पत्र अधिसूचित बकों/डाकघरों से विहित शुल्क का भुगतान □□□□□ क्र□ □□□□ □□ □□□□

(□□) □□□□□ रू□ □□□□□□□□□□□ □त्रों □□ □□□ □□□□□/□□ □ □□□ □□□□ □□□□ □□□□□, □□□□□ इसी प्रकार क्रय किया गया है।

□. **बुलावा पत्र-** बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा कि शारीरिक मानक परीक्षण के समय प्रमाण पत्रों को प्रतियों का परीक्षण और मिलान मूल प्रमाण पत्र से कर लिया □□□□ कम्प्यूटर के माध्यम से आवेदन पत्र स्कैन किये जाने के पश्चात् □म्प□□कृत बुलावा पत्र पात्र अभ्यर्थियों को उसी डाकघर/□□ □□□ध□□ □□ □□□□ □□□□□□□□□□□□□□ □त्र क्र□ □□□□ □□□ □□/प्रस्□□□□□□ □□□ था। बोर्ड गहन विचारोपरान्त बुलावा पत्र भेजने के लिए किसी अन्य उपयुक्त साधन का भी उपयोग कर सकता है। शारीरिक मानक परीक्षण □□ □□□□□ और समय सहित शारीरिक मानक परीक्षण का कोड/□□□/□□□ □□ □□□/स्□□ बुलावा पत्र पर सफाई से उल्लिखित किया जायेगा। शारीरिक मानक परीक्षण स्थल पर संवीक्षा के लिए ऐसे दस्तावेज, □□ □भ्□□ी □□□□क्ष□ □ी □□ □□□□ □□□□□□ □त्र □□ □□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□ पत्र शारीरिक मानक परीक्षण से कम से कम एक सप्ताह पूर्व पहुंच जाने चाहिए। यदि परीक्षण प्रारम्भ होने से एक सप्ताह पूर्व बुलावा पत्र प्राप्त नहीं होता है तो अभ्यर्थी □□□□□□ □ी हेल्प लाइन से सम्पर्क कर सकते है। बोर्ड से समस्त संचार/पत्राचार में □□□□ □त्र □□ क्र□□□ □□□ उद्धृत करना होगा। बोर्ड द्वारा द्वितीय बुलावा पत्र □□□□ □□□□ □□□□

□. **<u>शारीरिक मानक परीक्षा-</u>**

समस्त पात्र अभ्यर्थी एक अर्हकारी प्रकृति की शारीरिक मानक परीक्षा में सम्मिलित होंगे जिसकी प्रक्रिया परिशिष्ट-1 □ □□ □□□ □□

□. **<u>प्रारम्भिक लिखित परीक्षा</u>**

□ण□ (□) के अधीन शारीरिक मानक परीक्षा में सफल घोषित अभ्यर्थियों से एक वस्तुनिष्ठ प्रकार/अर्हकारी प्रकृति की प्रारम्भिक लिखित परीक्षण में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जायेगी। यह परीक्षण 200 □□ी □□ □□□□

इसमें तीन खण्ड होंगे, □□□ 100 अंकों का सामान्य ज्ञान (□□□□□ □□□□, □□□□□, □□□, □□□□ □□ □□□□□, स्वतन्त्रता संग्राम □□□) 50 अंकों की संख्यात्मक योग्यता परीक्षा और 50 अंकों की तार्किक परीक्षा। न्यूनतम पचास प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों □□ □क्त

[illegible]क्षा [illegible]

[illegible]. **शारीरिक दक्षता परीक्षा-**

[illegible](ग)([illegible]) के अधीन प्रारम्भिक लिखित परीक्षा म सफल घोषित अभ्यर्थियों से अहकारी प्रकृति की शारीरिक दक्षता परीक्षा म सम्मिलित होने की अपेक्षा की जायेगी। पुरूष अभ्यर्थियों से 4.8 [illegible] 35 [illegible] महिला अभ्यर्थियों से 2.4 [illegible] 20 मिनट म पूरी करने की अपेक्षा की जायेगी। शारीरिक दक्षता परीक्षा के संचालन की प्रक्रिया ऐसी होगी [illegible] परिशिष्ट-2 [illegible]

[illegible]. **मुख्य लिखित परीक्षा-**

[illegible](ग) ([illegible]) के अधीन शारीरिक दक्षता परीक्षा म सफल घोषित अभ्यर्थियों से मुख्य लिखित परीक्षा म सम्मिलित होने की अपेक्षा की जायेगी जो [illegible] 400 अंकों की होगीः-

विषय	**अधिकतम अंक**
1. [illegible]/ [illegible]	75 [illegible] 25 [illegible]
2. [illegible]	100 [illegible] (वस्तुनिष्ठ प्रकार की)
3. संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा	100 [illegible] (वस्तुनिष्ठ प्रकार की)
4. मानसिक अभिरूचि परीक्षा/ बुद्धिलब्धि परीक्षा/ [illegible] परीक्षा	100 [illegible] (वस्तुनिष्ठ प्रकार की)

टिप्पणी- लिखित परीक्षा के संचालन की प्रक्रिया ऐसी होगी जैसी परिशिष्ट-3 [illegible]

प्रत्येक विषय म न्यूनतम पचास प्रतिशत अंक प्राप्त करने म विफल रहने वाले अभ्यर्थी भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे। बोर्ड नियम 6 [illegible], [illegible] और अन्य से सम्बन्धित अभ्यर्थियों के सम्यक् प्रतिनिधित्व को प्राप्त करने की आवश्यकता को ध्यान म रखते हुए उनके द्वारा मुख्य लिखित परीक्षा म प्राप्त अंकों के आधार पर सफल अभ्यर्थियों की एक सूची तैयार करेगा। प्रत्येक विषय म प्राप्त अंकों सहित [illegible]ची एवं साथ म उत्तर[illegible]जी बोर्ड की वेबसाइट पर तत्काल प्रदर्शित की जाएगी। मुख्य लिखित परीक्षा म चयनित किये जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या रिक्तियों की संख्या की तीन गुनी होगी।

[illegible]. **समूह परिसंवाद-**

[illegible](ग)([illegible]) के अधीन चयनित अभ्यर्थियों से समूह- [illegible] सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। जिसके लिए प्रत्येक दस अभ्यर्थियों का पृथक समूह बनाया जाएगा। समूह परिसंवाद की प्रक्रि[illegible] जिसम प्रबंधन विशेषज्ञ, [illegible]

[illegible] बोर्ड के अध्यक्ष अथवा [illegible] की उपस्थिति म किया जायेगा। उक्त समूह परिसंवाद म, [illegible] के लिये प्रस्तुत किया जायेगा और सम्पूर्ण समूह परिसंवाद [illegible] 20 अंक होंगे और इसके अंतर्गत अभ्यर्थियों के प्रबंधन कौशल (5 [illegible]) [illegible] (5 [illegible]) [illegible] (5 [illegible]) और व्यक्तित्व (5 [illegible]) [illegible] अंक बोर्ड की वेबसाइट म भी अपलोड [illegible]

टिप्पणी 1- समूह परिसंवाद की सम्पूर्ण प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की जाएगी [illegible] 0 [illegible] 0 [illegible]

टिप्पणी 2- [illegible]-7 [illegible], अनुसूचित जनजातियों और नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व उपलब्ध कराने हेतु अधिकारियों का चयन समिति म नाम निर्देशन किया जाएगा।

टिप्पणी 3- [illegible] प्रक्रिया [illegible]-3 [illegible]

[illegible]. **अनन्तिम चयन सूची –**

[illegible]-15 [illegible] ([illegible]) के अधीन मुख्य परीक्षा म प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंक [illegible] ([illegible]) के अधीन समूह परिसंवाद म उसके द्वारा प्राप्त अंकों म जोड़ दिये जायगे। मुख्य लिखित परीक्षा और समूह परिसंवाद म प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त कुल अंकों के आधार पर आरक्षण नीति के दृष्टिगत, [illegible] रिक्तियों के सापेक्ष प्रत्येक श्रेणी के अभ्यर्थियों को [illegible]/[illegible] के अधीन विभागाध्यक्ष को प्रेषित करेगा। इसे अग्रेतर कार्यवाही हेतु विभागाध्यक्ष द्वारा पुलिस मुख्यालय को प्रेषित कर दिया जायेगा। बोर्ड द्वारा कोई प्रतीक्षा [illegible] नहीं की जायेगी। दो या अधिक अभ्यर्थियों द्वारा [illegible] परीक्षा म [illegible] अंक प्राप्त करने के मामले म [illegible] म उच्चतर अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को श्रेष्ठता सूची म उच्चतर स्थान पर [illegible] प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों [illegible] समस्त अभ्यर्थियों की सूची बोर्ड की [illegible]

नोट:-

[illegible]-[illegible] प्राप्त [illegible] श्रेष्ठता को निम्नलिखित नीचे उल्लिखित क्रम म विनिश्चित किया जायेगा:-

(1) ऐसे अभ्यर्थी को [illegible], जिन्होंने मुख्य लिखित परीक्षा म उच्चतर अंक प्राप्त किये हो।

(2) [illegible] इसके पश्चात् भी दो या अधिक अभ्यर्थी बराबर-[illegible]

प्राप्त करते ह तो ऐसे अभ्यर्थी को [illegible], [illegible] दो वर्ष की अवधि के लिए प्रादेशिक सेना म सेवा की हो अथवा नेशनल कैडेट [illegible] "[illegible]" प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, [illegible]/राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से कम्प्यूटर अपलीकेशन म प्रमाण पत्र प्राप्त [illegible] अधिमानी अर्हताय पूर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को [illegible]

(3) [illegible] अंक प्राप्त करते ह तो ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान्यता दी जायेगी, [illegible]

(4) [illegible] भी यदि दो या अधिक अभ्यर्थी बराबर-[illegible] प्राप्त [illegible] तो ऐसे अभ्यर्थी को [illegible], [illegible] अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम म पहले आता है।

[illegible]. **चिकित्सा परीक्षण**

[illegible] ([illegible]) [illegible] मुख्य लिखित परीक्षा [illegible] चयन सूची म स्थान रखने वाले अभ्यर्थियों से नियुक्त प्राधिकारी चिकित्सा परीक्षण म सम्मिलित होने की अपेक्षा करेगा। [illegible]-13 [illegible] 0प्र0 पुलिस मुख्यालयों म [illegible], जिसकी प्रक्रिया परिशिष्ट-4 [illegible] परीक्षण म अनुपयुक्त पाये गये अभ्यर्थियों के सम्बन्ध म नियुक्त प्राधिकारी द्वारा [illegible]

[illegible]. **चरित्र सत्यापन-**

नियुक्ति पत्र जारी किये जाने से पूर्व चरित्र सत्यापन को पूर्ण किया जाना आवश्यक होगा। चरित्र/[illegible] भीतर पूर्ण कर लिया जायेगा। अभ्यर्थीगण यदि चिकित्सा परीक्षण म अनुपयुक्त [illegible]/चरित्र सत्यापन म कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश म लाया जाये तो वे अभ्यर्थी नियुक्त प्राधिकारी द्वारा अनुपयुक्त घोषित [illegible] अग्रेनीति कर दी जायगी।

([illegible]) चरित्र सत्यापन के समय, अभ्यर्थियों से आयु प्रमाण पत्र, [illegible] प्रमात्र पत्र, [illegible], [illegible], चरित्र प्रमाण पत्र और भूतपूर्व सैनिकों के मामले म यूनिट डिस्चार्ज प्रमाण पत्र और सभी अन्य सम्बन्धित प्रमाण पत्र जिनके सम्बन्ध म उसने क्षैतिज अथवा ऊर्ध्वाधर आरक्षण का लाभ प्राप्त करने का दावा किया है, नियुक्त प्राधिकारी के समक्ष [illegible]ने की ओर उनकी प्रमाणित प्रतियां प्रस्तुत करने की अपेक्षा की [illegible] प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जायेगी।

([illegible]) अभ्यर्थियों को जन्म तिथि के लिए हाई स्कूल प्रमाण पत्र, [illegible]/राष्ट्रीय स्तर का प्रमाण पत्र, [illegible] तहसीलदार अथवा जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्गत प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा।

[illegible]थियों को आवेदन पत्र के साथ राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित फोटोग्राफ प्रस्तुत करना होगा और आवेदन पत्र के साथ संलग्न प्रारूप पर [illegible] [illegible]ों [illegible], [illegible]ण, [illegible]ों [illegible] डाक का पता उपलब्ध कराने की अपेक्षा की जायेगी।

([illegible]) [illegible]क्त[illegible], प्राथमिक प्रशिक्षण म अभ्यर्थियों को भेजे जाने से पूर्व सम्बन्धित नियुक्त प्राधिकारी के पर्यवेक्षण के अधीन चरित्र सत्यापन कराया जायेगा। ऐसे अभ्यर्थी प्राथमिक प्रशिक्षण के लिए पात्र नहीं [illegible] चरित्र सत्यापन के पश्चात् प्रतिकूल तथ्य आये हों।

ज्[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

16. उप निरीक्षक नागरिक पुलिस के स्वीकृत पदों की कुल संख्या [illegible] प्र[illegible] [illegible] क[illegible] [illegible] स[illegible]कार करते हुए ज्येष्[illegible] [illegible], शारीरिक दक्षता परीक्षा, जो अर्हकारी प्रकृति की होगी, के साथ बोर्ड द्वारा [illegible] [illegible]म से भर्ती द्वारा चयन समिति को [illegible] [illegible]

([illegible]) [illegible] -

([illegible]) [illegible] [illegible]मय प्रवृत्त शासनादेशों के अनुसार बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा [illegible]

([illegible]) [illegible] [illegible]क्षता बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट [illegible] [illegible]क्ष[illegible] द्व[illegible] [illegible],

([illegible]) म पुलिस उप महानिरीक्षक (स[illegible]) [illegible] [illegible]स[illegible] [illegible]रू[illegible] [illegible] [illegible]मय प्रवृत्त शासनादेशों के अनुसार पात्र अभ्यर्थियों को [illegible] ज्[illegible] [illegible] प्रस्तु[illegible]

([illegible]) [illegible], [illegible]र प्रदेश का एक नाम निर्दशिती होगा, [illegible] [illegible]क्ष[illegible] स[illegible] [illegible]क्ति [illegible]

([illegible]) [illegible] [illegible]त्र[illegible] स[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]ध[illegible]क्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट [illegible]

[illegible] : [illegible] [illegible]ध[illegible]क्ष यह सुनिश्चित करेंगे कि चयन समिति म [illegible]ल[illegible]ख[illegible], [illegible] पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों से संबंधित प्रत्ये[illegible] [illegible] प्र[illegible] [illegible]

([illegible]) <u>[illegible] [illegible]क्ष[illegible] [illegible]क्षा</u>

[illegible]त्र [illegible]थियों से अर्हकारी प्रकृति की एक शारीरिक दक्षता परीक्षा म सम्मिलित होने की अपेक्षा की जायेगी। पुरुष अभ्यर्थियों से 35 [illegible] 3.2 किलोमीटर की दौड़ और महिला अभ्य[illegible] 25 [illegible] 2.4 [illegible] [illegible] अपेक्षा की जायेगी। उप निरीक्षक नागरिक पुलिस के [illegible] [illegible] [illegible]थियों पर विचार किया जाएगा जो शारीरिक दक्षता परीक्षा म सफल होंगे।

(□) □□□ □□□□, □□□□ □भ□थियों की सूची अपनी संस्तु□ □□□ □□□ □□□□□□ □□ प्रस□□□□□ □ □ची अधिसूचित रिक्तियों से अधिक की नही □□□ ।

(□) पुलिस महानिदेशक द्वारा सूची के अनुमोदन के उपरान्त, □□□ □□ □□□□□क्ष□ (स□□□□), उप निरीक्षक के पदों पर पदोन्न□ □□□ □□□ आदेश निर्गत करगे ।

□□□ □□□□□□, □त□र प्रदेश द्वारा यथा अनुमोदित पदोन्न□ □□□ □□□□ □भ□थियों की अन्तिम सूची बोर्ड को उत्त□ प्र□□ □□□ □ी □□□□□ □□ प्र□□□ □ी □□□□ ।

□□□क्ष□ □□ □□ □□ □□□न□□ द्व□□ □□ी □ी प्रक्रि□□

17. निरीक्षक नागरिक पुलिस के स्वीकृत पदों की कुल संख्या के सौ प्रतिषत पद अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर बोर्ड द्वारा पदोन्नति के माध्यम से भर्ती द्वारा चयन समिति की संस्तुति के आधार □□ □□□□□□

(क) चयन समिति-

(□□) □□ □□□ □त□□□ प्रवृत्त शासनादेशों के अनुसार बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा □□□ □□□□

(□□) की अध्यक्षता बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट पुलिस महानिरीक्षक द्वारा □ी □□□□,

(□□□) में पुलिस उप महानिरीक्षक(स□□□□) समिति के पदेन सदस्य के रूप में □ी□, जो तत्समय प्रवृत्त शासनादेशों के अनुसार पात्र अभ्यर्थियों की निर्विवादित ज्येष्ठता सूची और सेवा अभिलेख भी चयन समिति के समक्ष प्रस□□□□□□

(□□□) □ □□□ □□□□□□, □त्त□ प्र□□ □□□ □□□ □□□□□□ □ी□□□□ पुलिस अधीक्षक के स्तर से निम्न पंक्ति का नहीं होंगे।

(□□□) में पुलिस सेवा के राजपत्रित स्तर के दो अन्य सदस्य होंगे जो बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जायगे।

टिप्पणी:- बोर्ड के अध्यक्ष यह सुनिश्चित करगे कि चयन समिति में □ल□□ख□□, अन्य पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों से संबंधित प्रत्येक □□ □□ से कम एक प्रतिनिधि समाविष्ट हो।

(□) चयन समिति पदोन्नति के लिये उपयुक्त पाये गये अभ्यर्थियों की सूची अपनी संस्तुति सहित पुलिस महानिदेशक को प्रस्तुत करेगी। सूची अधिसूचित रिक्तियों से अधिक की नहीं होगी।

(□) पुलिस महानिदेशक द्वारा सूची के अनुमोदन के उपरान्त, □□□ □□ □□□□□क्ष□(स□□□□), निरीक्षक के पदों पर पदोन्नति के लिये अंतिम आदेश □□□ □□□□

□□□ □□□□□□, □त्त□ प्र□□ द्वारा यथा अनुमोदित पदोन्नत

अभ्यर्थियों की अन्तिम सूची बोर्ड और उत्तर प्रदे[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] प्रदर्षित की जायेगी।

भाग छः प्रशिक्षण, नियुक्ति, परिवीक्षा, स्थायीकरण और ज्येष्ठता

प्रशिक्षण 18. (1) [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]-15 [illegible] 16 के अधीन अन्तिम रूप से नियुक्त अभ्यर्थियों से उनकी नियुक्ति से पूर्व पुलिस मुख्यालय द्वारा समय-[illegible] [illegible] यथा विहित प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूरा करने की अपेक्षा की जाएगी। विहित प्रशिक्षण का आयोजन विभागाध्यक्ष द्वारा आयोजित किया जाएगा। प्र[illegible]क्ष[illegible] [illegible] [illegible] पूर्ण कर लेने के पश्चात विभागाध्यक्ष अपेक्षित संख्या में नामों को संबंधित नियुक्ति प्राधिकारियों को अग्रसारित करेगा।

(2) [illegible] [illegible]क्ष[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]-17 के अधीन नियुक्ति के लिए अन्तिम रूप [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]क्ति [illegible]श्व[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] आधुनिक पहलुओं से संबंधित पाठयक्रम को पूरा करने की अपेक्षा की जाएगी।

[illegible]क्ति 19. **नियुक्ति**

(1) [illegible] 15 [illegible]ण[illegible] ([illegible]) के उपबन्धों के [illegible] नियुक्ति प्राधिकारी [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] क्र[illegible] [illegible] [illegible], जिस क्रम में [illegible] 15 [illegible]ण[illegible]-([illegible]) [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible]क्ति[illegible]

(2) [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]क्ति[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] यथा स्थिति चयन में यथा अवधारित या जैसा कि उस संवर्ग में हो, [illegible] संवर्ग से उन्हें [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], ज्येष्ठता क्रम में व्यक्तियों के नामों का [illegible] [illegible], परन्तु इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]क्त [illegible] [illegible]क्त पद पर कार्यरत किसी व्यक्ति को इस नियमावली के [illegible] [illegible] रू[illegible] [illegible]क्त [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]क्ति [illegible] इस नियमावली के अधीन की गयी नियुक्ति समझी जायगी।

[illegible]क्षा 20. (1) सेवा में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति को दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जाएगा।

(2) [illegible]क्ति प्र[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]-[illegible] मामलों में परिवीक्षा अवधि को बढा सकता है जिसमें ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

परन्तु आपवादिक परिस्थितियों के सिवाए परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नही बढाई जायेगी।

(3) [illegible] [illegible]क्षा [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]क्षा [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है, [illegible] [illegible] प्र[illegible] करने में अन्यथा विफल रहा है तो उसे उसके मौलिक पद पर [illegible] [illegible] [illegible],

प्रत[illegible] [illegible], तो उसकी सेवाय समाप्त की जा सकती है।

(4) ऐसा परिवीक्षाधीन व्यक्ति, [illegible] (3) [illegible] प्रत[illegible] जाय या जिसकी सेवाय समाप्त की जायं, [illegible] प्र[illegible]

(5) नियुक्त प्राधिकारी सेवा के संवर्ग म सम्मिलित किसी पद पर या किसी अन्य समकक्ष या उच्च पद पर स्थापनापन्न या अस्थायी रूप म की गयी निरन्तर सेवा को परिवीक्षा अवधि की संगणना करने के प्रयोजनार्थ गिने जाने की [illegible]

स्[illegible] 21. (1) [illegible] 20 [illegible] (1) [illegible] (2) के उपबन्धो के अधीन रहते हुए किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षा अवधि या बढ़ाई गयी परिवीक्षा अवधि के अन्त म उसकी नियुक्ति म स्थायी कर दिया जायगा। यदि.....

(क) वह विहित प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया हो,

(ख) [illegible]

(ग) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाय।

(2) [illegible] उत्तर प्रदेश राज्य के सरकारी सेवकों की स्थायीकरण नियमावली, 1991 [illegible] स्[illegible] [illegible]-5 [illegible] (3) [illegible] आदेश कि संबंधित व्यक्ति ने परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, स्[illegible]

ज[illegible] 22. सेवा म किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता समय-[illegible] उत्तर प्र[illegible] ज[illegible], 1991 [illegible]

भाग-सात-वेतन इत्यादि

[illegible] 23. (1) सेवा म विभिन्न श्रेणियों के पदों पर नियुक्ति व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान [illegible] द्वारा [illegible]-[illegible]

(2) [illegible] प्र[illegible] समय वेतनमान परिशिष्ट म दिए गये है।

[illegible] 24. (1)

क्रम संख्या	**पद का नाम**	**वेतनमान**
1.	[illegible]	रू0 5500-9000
2.	[illegible]	रू0 6500-10500

फण्डामटल रूल्स म किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुए भी, [illegible] व्यक्ति को, [illegible], [illegible] उसको प्रथम वेतनवृद्धि तभी दी जायगी जब उसने एक वर्ष की संतोषजनक [illegible], तथा विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो एवं प्रशिक्षण पूर्ण कर लिया हो और द्वितीय वेतनवृद्धि दो वर्ष की सेवा के पश्चात तभी दी जायगी जब उसने परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली हो और उसे स्थायी भी कर

[illegible],

[illegible] प्र[illegible] [illegible]क्ष [illegible] जाय तो इस प्रकार बढ़ाई गयी अवधि को गणना वेतनवृद्धि के लिए नहीं को जायगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निदश न दे।

(2) ऐसे व्यक्ति का जो पहले से सरकार के अधीन कोई पद धारण कर रहा हो, परिवीक्षा अवधि म वेतन, [illegible]ल रूल्स द्वारा विनियमित होगा।

[illegible] प्र[illegible] [illegible]क्ष [illegible] प्र[illegible] [illegible]द्धि [illegible] नहीं को जायगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निदश न द।

(3) ऐसे व्यक्ति का जो पहले से स्थायी सरकारी सेवा म हो, परिवीक्षा अवधि म वेतन राज्य के कायकलाप के संबंध म सेवारत सरकारी सेवको पर सामान्यतया लागू सुसंगत नियमो द्वारा विनियमित होगा।

भाग-आठ-अन्य उपबन्ध

[illegible]क्ष [illegible] 25. किसी पद पर या सेवा म लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिशों से [illegible]न्हों सिफारिशों पर चाहे लिखित हो या मौखिक विचार नहीं किया जायेगा। किसी अभ्यर्थी को ओर से अपनी अभयथंता के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समथ प्राप्त करने का प्रयास उसे नियुक्ति के लिए अनह [illegible]

[illegible] 26. ऐसे विषयों के सम्बन्ध म जो विनिदिष्ट रूप से इस नियमावली या विशेष [illegible], सेवा म नियुक्त व्यक्ति राज्य के कायकलापों के सम्बन्ध म सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू नियमों विनियमों [illegible] द्वारा नियंत्रित होंगे।

[illegible]क्त[illegible] 27. यदि किसी भर्ती वष म नियुक्तियां दोनों सीधी भर्ती और पदोन्नति द्वारा को [illegible]क्त[illegible], [illegible] अभ्यर्थियों के नाम ऐसे रीति से लिये जाएंगे कि विहित प्रतिशत बना [illegible], [illegible] म प्रथम नाम पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्ति का होगा।

[illegible] 28. जहां राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि सेवा म नियुक्त व्यक्तियों को सेवा को शर्तों को विनयमित करने वाले किसी नियम के प्रवतन से किसी [illegible]ष्ट [illegible] नियमों म किसी बात के होते हुए भी, आदेश द्वारा रहते हुए जिन्ह वह मामले म न्यायसंगत और साम्यपूण रीति से उस नियम को अपेक्षाओं को उस सीमा तक और ऐसी भर्ती के अधीन कायवाही करने के लिए आवश्यक समझ, [illegible]क्त[illegible]

[illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]

व[illegible]त्ति 29. इस नियमावली म किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आचरण और [illegible] रियायतों पर नहीं पड़ेगा, जिनका इस सम्बन्ध मे [illegible] द्व[illegible] [illegible]-[illegible] [illegible] जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, [illegible] जनजातियों और अन्य विशेष श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध किया [illegible] [illegible]क्षि[illegible] [illegible]

[illegible]द[illegible] प्र[illegible] 30. (1) [illegible]ज[illegible] सरकार द्वारा बनाई गई किसी अन्य नियमावली या जारी किये गये शासनादेश या प्रशासनिक अनुदेशों म अन्तविष्ट किसी बात के प्रतिकूल होते [illegible] [illegible], इस नियमावली के उपबन्ध प्रभावी [illegible]

(2) उत्तर प्रदेश पुलिस बल म नागरिक पुलिस के उपनिरीक्षकों और [illegible]क्ष[illegible] [illegible], [illegible]न[illegible], प्रशिक्षण, [illegible]क्ति, ज्येष्ठता निर्धारण और स्थायीकरण [illegible] [illegible]म्न[illegible]न्[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]-[illegible] [illegible] जारी किये गये शासनादेश प्रारम्भ से विखण्डित और प्रतिसंहृत हो जायगे।

(3) [illegible]स[illegible] [illegible], तत्सम्बन्ध म जारी किसी नियमावली शासनादेशों या प्रशासनिक अनुदेशों के अधीन चयन, [illegible]न[illegible], प्रशिक्षण, [illegible]क्ति, ज्येष्ठता निर्धारण और स्थायीकरण आदि से सम्बन्धित या आनुषंगिक विषयों [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], और तद्धीन प्रोदभूत कोई अधिकार समाप्त [illegible]

(4) [illegible]ण[illegible] [illegible] [illegible] प्र[illegible] [illegible], [illegible] [illegible] प्र[illegible] [illegible] [illegible] 02 [illegible]म्न[illegible], 2008 [illegible]स[illegible] [illegible], [illegible]न[illegible], प्रशिक्षण, [illegible]क्ति, ज्येष्ठता निधरण और स्थायीकरण आदि को प्रसुविधा प्रत्याहरित नही की जायेगी।

[illegible]ज्ञ[illegible] [illegible]

([illegible] [illegible])
प्र[illegible] [illegible]

[illegible]ख्[illegible]2548/6-[illegible]0-10-08-[illegible]

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. [illegible], [illegible]द्र[illegible] [illegible] [illegible]ग्र[illegible], [illegible], लखनऊ को नियमावली को अंग्रेजी अनुवाद को प्रति [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]ग्र[illegible] [illegible] [illegible]न्[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]ष्ट [illegible]-4 [illegible] [illegible]ण[illegible] ([illegible]) परिनियत आदेश के अन्तर्गत सरकारी गजट म प्रकाशित कराकर इसको 2500 प्र[illegible] [illegible]([illegible]) [illegible]-10 को उपलब्ध कराने का कष्ट कर।

2. [illegible] [illegible], [illegible]0प्र0 [illegible]

3. [illegible] (स्[illegible]) [illegible]
4. [illegible] (स्[illegible]) [illegible]
5. [illegible]-1/2
6. [illegible]-5
7. [illegible]-1
8. समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक/ [illegible]
9. [illegible]

[illegible]

([illegible]0[illegible]0 [illegible])
[illegible]

परिशिष्ट-1

([illegible] 15 ([illegible]) [illegible])

सीधी भर्ती हेतु शारीरिक मानक परीक्षा

[illegible]
[illegible]

शारीरिक मानक परीक्षा का संचालन 3 [illegible] जिसम निम्नलिखित सदस्य होंगे:-

1-परगना मजिस्ट्रेट/□□ □□क□□

2-□□□□त□□/क्रीडाधिकारी/राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिकारी

3-□□□ □□□□क्ष□

(1) यह उक्त दल के सदस्यों का यह दायित्व होगा कि वे शारीरिक मानक परीक्षण स्थल पर अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रमाण पत्रों के मूल और अभिप्रमाणित छायाप्रतियों की संवीक्षा कर और इस □□□ □ी □□□□□ □□ अभ्यर्थी द्वारा अपने ओ0□□0□□0 आवेदन पत्र और उसके द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्रों म प्रदान की गयी सूचना के मध्य कोई विसंगति न हो। प्रमाण पत्रों अथात आयु प्रमाण पत्र, शैक्षणिक अहता प्रमाण-□त्र, □□ प्र□□-□त्र, राष्ट्रीय कैडेट कोर/ टेरिटोरियल आर्मी/कम्प्यूटर एप्लीकेशन प्रमाण पत्र, होमगाड सेवा सबूत प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र, □□□□ □□□□/□□□□ डिस्चाज प्रमाण पत्र, उद्ग्वाधर आरक्षण का दावा करने के मामले म जाति प्र□□-□त्र, □□ □ण□ (□) □□□□-15(□□□) के अनुसार प्रस्तुत किये □□□ वाले क्षैतिज आरक्षण के मामले मे निवास प्रमाण-पत्रों के सम्यक् परीक्षण एवं मिलान करने के पश्चात् उक्त दल सुसंगत प्रमाण पत्रों की अनुप्रमाणित प्रतियां◌ को स्वीकार करेगा और भावी दस्तावेजीकरण तथा सत्यापन हेतु नियुक्ति प्राधिकारी को उक्त प्रमाण पत्रों को प्रस्तुत करने के पूव भर्ती की प्रक्रिया की समाप्ति तक उन्ह अनुरक्षित रखेगा।

(2)□□□न□/अन्य पिछडा वग और अनुसूचित जातियों के पुरुष अभ्यर्थियों के □□□ न□□□□ □□□f□□ □□□□ □□□□ 168 □□□□□□□ □□□□ □□□□□□ जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 160 □न□□□□□ □□

सीने की माप

□□□न□/अन्य पिछडा वग और अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम सीने की माप बिना फुलाए हए 79 □□□□□□ □□ □□□□□□ 84 सटीमीटर होनी चाहिए और अनुसूचित जनजातियों के लिए बिना फुलाए हए 77 □0□□0 □□□ □□□□□□ □न□□82 □□□□□□□ □□□□ □□□□□□

□□प□□□- □□□□□ □□□□ न□□□□ 5 सटीमीटर आवश्यक है।

(3) □□□□□ □□न□□□□ □□□□f□□ □□□□ □□ □□□□-

□□□न□/अन्य पिछड़ा वग/अनुसचित जातियों की महिला अभ्यर्थियों □□न□□□□ □□□□ 152 □□□□□□□ □□

अनुसूचित जनजातियों के महिला अभ्यर्थियों हेतु न□□□□ □□□□ 147 □□□□□□□ □□

□□□- न□□□□ 40 □□□□ग्र□□

(4) स[illegible]/[illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] परीक्षा आयोजन के पूर्व सूचनापट्ट ([illegible]) [illegible] प्रत[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]म शारीरिक मानक को अत्यंत प्रमुखता से प्रदर्शित किया जायगा।

(5) सम्पूर्ण राज्य म शारीरिक मानक परीक्षण [illegible] [illegible]/स[illegible] [illegible] आयोजित किया जाय। एक दिन म अभ्यर्थियों को [illegible] 200 [illegible] [illegible] [illegible] दलों को संख्या जिले म उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों को संख्या के आधार [illegible]

(6) [illegible], जो जानबूझ कर गलत रिपोर्ट देते हुए पाये जाते ह [illegible]

(7) इस अर्हकारी परीक्षा का परिणाम, [illegible] प्रत्येक अभ्यर्थी के परिमापों का उल्लेख करते हुए माईक पर [illegible] सम्भव हो तो बोर्ड को वे[illegible]

(8) शारीरिक मानक परीक्षण को परीक्षा के लिए भारतीय मानक संस्थान प्रमाणन वाले मानकीकृत उपकरणों का ही प्रयोग किया जाय।

परिशिष्ट-2

([illegible] 15 ([illegible]) [illegible])

<u>सीधी भर्ती हेतु शारीरिक दक्षता परीक्षा</u>

[illegible] दक्षता परीक्षा	शारीरिक दक्षता परीक्षा तीन सदस्यीय दल द्वारा लिया जाएगा, [illegible]

1. परगना मजिस्ट्रेट/ [illegible],
2. [illegible]/ क्रीड़ा [illegible]/ राष्ट्रीय [illegible],
3. [illegible]

[illegible]. [illegible] दक्षता परीक्षा दल के सदस्य यह सुनिश्चित करगे कि अनुसूची के अनुसार किसी विशिष्ट दिनांक को शारीरिक दक्षता परीक्षण म सम्मिलित होने के लिए समस्त अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा संचालित की जाये। सम्पूर्ण राज्य म यह परीक्षा एक सप्ताह म पूरी की जायेगी। अत्यधिक संख्या म अभ्यर्थियों के होने की स्थिति म बोर्ड समयावधि को बढ़ाने का विनिश्चय कर [illegible]

[illegible]. [illegible]कहीं परीक्षण, [illegible], [illegible]प्रत्येक परीक्षा हेतु अर्हता के लिए न्यूनतम शारीरिक मानकों का प्रदर्शन स्टैडियम/[illegible] सूचना पट्टों पर प्रमुखता से किया जाएगा।

[illegible]. शारीरिक दक्षता परीक्षा केवल अर्हकारी प्रकृति का है और इसका श्रेष्ठता सूची पर कोई प्रभाव नहीं होगा। इस अर्हकारी परीक्षा का परिणाम सूचना पट्ट [illegible] प्रदर्शित किया जाएगा और जहां तक सम्भव हो बोर्ड की वेबसाइट पर नित्य [illegible]

[illegible]. दल के सदस्य जो जानबूझकर मिथ्या रिपोर्ट दगे, [illegible]

[illegible]. शारीरिक दक्षता परीक्षा पूर्ण होने पर समस्त सफल/असफल अभ्यर्थियों की सूची दल के समस्त सदस्यों के संयुक्त हस्ताक्षर से घोषित की जायेगी।

[illegible]. इस अर्हकारी परीक्षण का परिणाम माइक पर घोषित किया जाएगा ([illegible] परीक्षण समाप्त होने के तत्काल पश्चात परीक्षणवार प्रत्येक अभ्यर्थी का माप [illegible]) सूचना पट्ट पर प्रदर्शित किया जाएगा और यदि सम्भव हो तो [illegible]

[illegible]. शारीरिक दक्षता परीक्षण की परीक्षा के लिए भारतीय मानक संस्थान प्रमाणन [illegible]

[illegible]. शारीरिक दक्षता परीक्षण म सफल अभ्यर्थियों की सूची की घोषणा किये जाने [illegible] चिकित्सालयों के अभिहित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर भेजा जाएगा।

परिशिष्ट-3

([illegible] 15 ([illegible]) [illegible])

[illegible] परीक्षा को — मुख्य लिखित परीक्षा के पूर्व सभी अभ्यर्थियों (उप निरीक्षक की सीधी भर्ती के [illegible]) को शारीरिक दक्षता परीक्षण कराना होगा। संघ लोक सेवा आयोग

प्रक्रिया

को रीति से मुख्य लिखित परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों को चिपके हुए फोटोग्राफ के साथ कम्प्यूटरीकृत बुलावा पत्र डाक घर/□□ □□□□□ □□□□ □□□ □□ भेजे जायगे जैसे कि प्रारम्भिक परीक्षा के लिए भेजे गये थे।

□. □□□, दोनों हाथों के अंगूठा निशान, परीक्षा केन्द्र का कोड संख्या/□□□, □□□ □□ □□□, □□क्षा □□ □□□/दिनांक सहित जिला का नाम बुलावा पत्र म स्पष्ट रूप □□□□□ □□□□□

□. परीक्षा के दिनांक से कम से कम एक सप्ताह पूर्व अभ्यर्थी के पास बुलावा पत्र पहुंच जाना चाहिए। यदि परीक्षा के दिनांक से एक सप्ताह पूर्व बुलावा पत्र नहीं प्राप्त होता है तो अभ्यर्थी बोर्ड को हेल्पलाइन/ □□□□□□/ □□□□□□ □□□ □□ □□□ □□ □□□□ □□□ बोर्ड को वेबसाइट से बुलावा पत्र को दूसरी प्रति प्राप्त □□ □□□□ □□

□. लिखित परीक्षा पूरे राज्य म एक ही दिनांक और समय पर आयोजित को □□□□□

□. लिखित परीक्षा के प्रयोजनार्थ ओ0□□0□□0 उत्तर पत्रक तीन प्रतियों म □□□□, □□□□□ □□प्र□□ □□□□□□□□□ प्र□□□ □□□□ □□□□□, प्र□□ □□□□ कापी बोर्ड के अभिलेख के लिए और दूसरी कापी अभ्यर्थियों के लिए होगी। □□□□□□ □□ □0□□0□□0 उत्तर पत्रक के साथ कार्बन प्रति अपने साथ ले □□□□□ □□□□□ □□□□

□. लिखित परीक्षा समाप्त हो जाने के पश्चात् उत्तर पत्रकों को जि□□ □□□स्ट्रे□/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/□□□ □□□क्ष□ द्वा□□ □□□□□ □□□□□ □□□, सुरक्षित अभिरक्षा के माध्यम से मुहर बन्द आवरण म केन्द्रवार बोर्ड को भेज □□□□ □□□□□

परिशिष्ट-4

(□□□□ 15 (□□) □□□)

<u>सीधी भर्ती के लिए चिकित्सकीय परीक्षण</u>

□□□□□□
□□□क्षा □□□□□□

चिकित्सा परीक्षा परिषद

मुख्य लिखित परीक्षा और समूह परिसंवाद पूर्ण होने पर ऐसे अभ्यर्थियों, □□ अन्तिम चयन सूची म स्थान प्राप्त किये हों, □□ अधिसूचित केन्द्रों पर (□□□□

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, [illegible] स्वास्थ्य केन्द्र) [illegible] के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा गठित चिकित्सा [illegible] द्वारा आयोजित चिकित्सा परीक्षा म सम्मिलित होना होगा। इस संव्यवहार का पर्यवेक्षण नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा किया जायेगा। प्रत्येक चिकित्सा [illegible] अभ्यर्थियों की संख्या ([illegible] 50) [illegible] विनिश्चय इस प्रकार किया जायेगा कि चिकित्सा परीक्षा की गुणवत्ता और प्रक्रिया प्रभावित [illegible] परीक्षा सम्पूर्ण राज्य म एक सप्ताह के अन्दर पूर्ण की जाये। यदि चिकित्सा परीक्षा म सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या अधिक हो तो नियुक्ति प्राधिकारी के स्तर पर अपेक्षानुसार समय बढ़ाने के लिए विनिश्चय किया जा सकता है। चिकित्सा परीक्षा संचालन के पूर्व चिकित्सा परीक्षण म अर्ह होने के लिए न्यूनतम अपेक्षाओं को जिला सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, [illegible] सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, [illegible] कहीं भी चिकित्सा परीक्षा संचालित की जा रही [illegible], के सूचना पट्ट पर प्रमुखता से प्रदर्शित किया जायेगा।

[illegible] चिकित्सकों द्वारा [illegible]

([illegible]) चिकित्सकों द्वारा अभ्यर्थियों का परीक्षण [illegible] जायेगा। चिकित्सा परिषद मुख्यतया मानव शरीर की कमियों, [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], कलर ब्लाइन्डनेस, रेबीज़ टेस्ट सहित श्रवण परीक्षण, [illegible]-टेस्ट और वरटिगो इत्यादि की [illegible] ऐसी वारन्टी द तो पुलिस सेवा भर्ती और पदोन्नति बोर्ड विशेषज्ञों की राय प्राप्त करने के पश्चात् अन्य परीक्षा आयोजित कर सकता है।

([illegible]) दिन के अन्त म परिणामों को सूचना पट्ट पर [illegible]

([illegible]) चिकित्सा परिषद के सदस्य जो जानबूझकर गलत रिपोर्ट देते [illegible], दाण्डिक कार्यवाही के भागी होंगे।

([illegible]) चिकित्सा परीक्षा अर्हकारी है और इसका श्रेष्ठता सूची पर कोई प्रभाव नहीं होगा। इस अर्हकारी परीक्षा [illegible] प्रत्येक दिन [illegible] पट्ट [illegible]